

FORM -11

(for projects other than linear projects)

Government of India

Office of the District Collector Barabanki

No. 444/A-3.A/F

Dated. 10-2-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF.), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF-Issued guidelines on submission, of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest "purposes, it is certified that 0.5343591 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Indian Oil Corporation Limited Aliganj Lucknow** (Name of user agency) for **Retail Outlet** (purpose for diversion of forest land) in Barabanki district falls within jurisdiction of **Kashipur Village(s)** in **Ram Sanehi Ghat Tehsils**.

It is further certified that.

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.5343591 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 1.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before-each concerned Gram-Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Kashipur Village(s)** is enclosed as annexure 1 to annexure 1.
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it ;
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl :- As above



  
Signature  
जिलाधिकारी  
(Full name and official seal of the District Collector)  
बाराबंकी


जिला स्तरीय समिति तहसील रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र


जिला बाराबंकी में N.H.-27 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग (पुराना N.H.-28) किमी 62.000-63.000 के मध्य दायी पटरी पर ग्राम-काशीपुर, परगना-सूर्यपुर, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी के गाटा संख्या-233 में विकसित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा स्वीकृत रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में रिटेल आउटलेट धारक द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में शासनादेशानुसार गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में ग्राम सभा-काशीपुर, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी के गाटा संख्या-233 में विकसित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा स्वीकृत रिटेल आउटलेट द्वारा निर्माण में प्रभावित होने वाले 0.5343591 हे० संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत Schedule Tribal and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act-2006 (वन अधिकार अधिनियम 2006) के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा है अथवा नहीं? उपस्थिति सभी जिला स्तरीय समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त संरक्षित वन भूमि पर किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।


जिला स्तरीय समिति के सदस्यों के चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय समिति के समस्त पदाधिकारियों को (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (वन अधिकार अधिनियम 2006) के अन्तर्गत विभाग द्वारा संरक्षित ग्राम सभा-काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के निर्माण में प्रभावित होने वाले 0.5343591 हे० संरक्षित वन भूमि को इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के लिए दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
3/2/15

District Panchayat Raj Officer  
Barabanki

  
3/2/15

Family Welfare Officer  
Barabanki

  
प्रधान निदेशक  
वा० वा० वन प्रभाग  
बाराबंकी

उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र


जिला बाराबंकी में N.H.-27 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग (पुराना N.H.-28) किमी 0 62.000-63.000 के मध्य दायी पट्टी पर ग्राम काशीपुर, परगना सूर्यपुर, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के गाटा संख्या-233 में विकसित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा स्वीकृत रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में रिटेल आउटलेट धारक द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में शासनादेशानुसार गठित उप खण्ड स्तरीय समिति की बैठक में ग्राम सभा काशीपुर, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के गाटा संख्या-233 में विकसित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा स्वीकृत रिटेल आउटलेट द्वारा निर्माण में प्रभावित होने वाले 0.5343591 हे० संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत Schedule Tribal and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act-2006 (वन अधिकार अधिनियम 2006) के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा है अथवा नहीं? उपस्थिति सभी उप खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त संरक्षित वन भूमि पर किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

उप खण्ड स्तरीय समिति के सदस्यों के चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप खण्ड स्तरीय समिति के समस्त पदाधिकारियों को (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (वन अधिकार अधिनियम 2006) के अन्तर्गत विभाग द्वारा संरक्षित ग्राम सभा-काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के निर्माण में प्रभावित होने वाले 0.5343591 हे० संरक्षित वन भूमि को इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के लिए दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
6/01/15  
E O.N.P./D  
D.O  
रामसनेहीघाट

  
6/1/15  
Rajendra Singh  
Rajendra Singh  
Rajendra Singh  
Rajendra Singh

  
06.1.15  
Tah  
R & S. Ghosh

बाराबंकी  
रामसनेहीघाट  
तहसील

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

क्र. दिनांक	उपस्थित सदस्यो के नाम	कृत कार्रवाई	उपस्थित सदस्यो के छ/वि. क्र.
1	2	3	4
1.	श्रीमती राम लाली (प्रधान)	आज दिनांक 30-12-14 को सर्वसूचना नुसार दिनांक 27-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	राम लाली
2.	श्री गीत देवी सदस्य	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	वि. क्र. गीत देवी
3.	श्री रेशम सदस्य	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	वि. क्र. रेशम
4.	श्री राज कुमार सदस्य	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	वि. क्र. राज कुमार
5.	श्री कुशा सदस्य	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	कुशा
6.	श्री झारिका	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	झारिका
7.	श्री चैतराम	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	चैतराम
8.	श्री मेशाराम	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	मेशाराम
9.	श्री सुन्तन	दिनांक 30-12-14 को ग्रामपंचायत बैठक में श्रीमती राम लाली की अध्यक्षता में गांव कि बडेलान (पन्डु) में समग्र 1 वजे	

1	2	3	4
10	श्री रामपाल	<p>संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र वा वन प्राप्तिवासी से विलुप्त चर्चा की गयी कि वन अधिका (अधिक) 2006 के अन्तर्गत अवेपित क्षेत्र संरक्षित वन भूमि में किसी भी आदिवासी जनजाति का कल्याण/अधिकार नहीं है उपरिष्ठित सभी प्राप्तिवासी को डा. 15/6/2006 मि. प्र. म. भा. है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी जनजाति का कल्याण अथवा अधिकार नहीं किया जा रहा है चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा डा. 15/6/2006 सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा के गाँववासी को उक्त वन भूमि पर रिटल आउटलेट था (क. डा. 15/6/2006) विकसित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ग्राम सभा को सिफारिश पर वन अधिका (अधिक) 2006 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि रिटल आउटलेट धारक नाजफातमा पुत्री श्री सैयद हसन में हकी निर्णय कर स्वतंत्र (अशा. फ. प. ट. ट. पो. 0) सिकन्दरपुर (त. ट. अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर का</p>	<p>रामपाल नि.क्र. 21/नी.ध. रामेश नि.क्र. 21/नी.ध. राजेश राय नि.क्र. 21/नी.ध. दिनेश चन्द्र चन्दर</p>

1	2	3	4
		<p>रिटेल आउट लेट विकसित  किसे जाने मे कोई आपत्ति नहीं  है तथा डायवर्जन बनाने का  और कोई आपत्ति नहीं है।  तत्पश्चात मध्यम सहाय  की अनुमति से खप्रा विकसित  की जाएगी</p>	
		<p><i>(Signature)</i>  श. 5-6. अ. 1/1/18</p>	